रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 631] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 23, 2011/अग्रहायण 2, 1933
No. 631] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 23, 2011/AGRAHAYANA 2, 1933

## शहरी विकास मंत्रालय

(नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन)

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 नवम्बर, 2011

**सा.का.नि. 828(अ).**—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और शहरी विकास मंत्रालय, नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन, मुख्य नियोजक (समूह 'क' और 'ख') भर्ती नियम, 1975 को, जहां तक उनका संबंध मुख्य नियोजक (समूह 'क') के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने से लोप किया गया है, शहरी विकास मंत्रालय, नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन में समूह 'क' राजपत्रित (अननुसचिवीय) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम शहरी विकास मंत्रालय, नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन, मुख्य नियोजक समूह 'क' राजपत्रित (अननुसचिवीय) भर्ती नियम, 2011 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

**2. पद-संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.**—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण तथा उसका वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होगा जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

**3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अन्य अर्हताएं, आदि.**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

**4. निरर्हता.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

**5. शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

**6. व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

## अनुसूची

| पद का नाम | पदों की संख्या | वर्गीकरण | वेतन बैण्ड और ग्रेड वेतन या वेतनमान | चयन अथवा अचयन पद | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| मुख्य नियोजक | 1* (2011) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है । | साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय | वेतन बैण्ड-4 ₹37400-67000/- + ग्रेड वेतन ₹10000/- | लागू नही होता । | लागू नही होता । |

| सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नही | परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो | **भर्ती की पद्धति:** भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता |
|---|---|---|---|
| (7) | (8) | (9) | (10) |
| लागू नही होता । | लागू नही होता । | लागू नही होता । | संयुक्त पद्धति द्वारा [प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) + प्रोन्नति] |

| प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा | यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना | भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा |
|---|---|---|
| (11) | (12) | (13) |
| **प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) या प्रोन्नति:**<br>केन्द्रीय या राज्य सरकारों या संघ राज्य-क्षेत्रों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या अर्ध सरकारी या कानूनी अथवा स्वायत्त संगठनों के ऐसे अधिकारी:<br>(क)(i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या<br>(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैण्ड-4 ₹37400-67000/- + ग्रेड वेतन ₹8900/- या समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात, उस श्रेणी में दो वर्ष सेवा की है; या | लागू नही होता। | प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है। |

(iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैण्ड-4 ₹37400-67000/- + ग्रेड वेतन ₹8700/- या समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात्, उस श्रेणी में तीन वर्ष सेवा की है; और

(ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है :-

<u>आवश्यक</u>

(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय / संस्था से नगर या शहर या शहरी या क्षेत्रीय योजना में स्नातकोत्तर डिग्री या समतुल्य;

(ii) किसी स्थानीय निकाय या सरकारी उपक्रम या मान्यताप्राप्त संस्था से नगर और क्षेत्रीय योजना के क्षेत्र में 15 वर्ष के अनुसंधान का अनुभव जिसमें से प्रशासनिक मामलों में तीन वर्ष के अनुभव सहित सरकार की शहरी और क्षेत्रीय विकास योजनाओं को मॉनिटर करने में आठ वर्ष का अनुभव हो ।

<u>वांछनीय</u>

नगर नियोजक संस्थान (भारत) का फेलो मेम्बर हो ।

पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे ।

(प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है), जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) है, साधारणतया पाँच वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

**नोट:** वेतन बैण्ड-4 ₹37400-67000/- + ग्रेड वेतन ₹8700/- में ऐसे विभागीय अपर मुख्य नियोजक जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की हो, जिसके न होने पर ऐसे अपर मुख्य नियोजक जिन्होंने अपर मुख्य नियोजक और नगर एवं ग्राम नियोजक की श्रेणियों में वेतन बैण्ड-3 ₹15600-39100/- + ग्रेड वेतन ₹7600/- में आठ वर्ष संयुक्त नियमित सेवा की है जिसमें से अपर मुख्य नियोजक की श्रेणी में कम से कमे दो वर्ष की सेवा की हो, का भी बाह्य व्यक्तियों के साथ इस पद पर नियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा और यदि उसका इस पद पर चयन हो जाता है तो इस पद को प्रोन्नति द्वारा भरा समझा जाएगा ।

[फा. सं. ए-12018/1/2000/टी सी पी ओ/प्रशा.-III/यूडी-II]

के. जी. मोहन्ता, अवर सचिव

## MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

### (Town and Country Planning Organisation)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd November, 2011

**G.S.R. 828(E).**— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Urban Development, Town and Country Planning Organisation, Chief Planner (Group 'A' and 'B') Recruitment Rules, 1975, in so far as they relate to the post of Chief Planner (Group 'A'), except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Group 'A' Gazetted (Non-Ministerial) post under the Ministry of Urban Development, Town and Country Planning Organisation, namely:-

1. **Short title and commencement** – (1) These rules may be called the Ministry of Urban Development, Town and Country Planning Organisation, Chief Planner Group 'A' Gazetted (Non-ministerial) Recruitment Rules, 2011.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and pay band and grade pay or pay scale** – The number of said post, its classification and the pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said schedule.

3. **Method of Recruitment, age-limit, other qualifications etc.** – The method of Recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters relating thereto, shall be as specified in coloumns (5) to (13) of the aforesaid schedule.

4. **Disqualification** – No person, –

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax** – Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules in respect to any class or category of persons.

6. **Saving** – Nothing in these rules shall affect any reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

## SCHEDULE

| Name of the post | Number of posts | Classification | Pay Band and Grade Pay or Pay Scale | Whether selection or Non-selection post | Age limit for direct recruits |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| Chief Planner | 1* (2011) *Subject to variation dependent on work load | General Central Service, Group 'A' Gazetted Non-Ministerial | Pay Band-4 ₹37400-67000/- + Grade Pay ₹10000/- | Not applicable | Not applicable |

| Educational and other qualification required for direct recruits. | Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Promotees | Period of probation, if any | Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods |
|---|---|---|---|
| (7) | (8) | (9) | (10) |
| Not applicable | Not applicable | Not applicable | By Composite Method [Deputation (Including Short Term Contract) Plus Promotion] |

| In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grades from which promotion or deputation or absorption to be made | If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition | Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment |
|---|---|---|
| (11) | (12) | (13) |
| **Deputation (Including Short Term Contract) or Promotion:**<br>Officers of the Central or State Governments or Union Territories or Universities or Recognized Research Institutions or Public Sector Undertakings or Semi-government or Statutory or Autonomous Organisations:-<br>(A)(i) Holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or<br><br>(ii) With 2 years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in Pay Band-4 ₹37400-67000/- with Grade Pay ₹8900/- or equivalent in the parmanent cadre or department; or<br><br>(iii) With 3 years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in Pay Band-4 ₹37400-67000/- + Grade Pay ₹8700/- or equivalent in the | Not Applicable | Consultation with the Union Public Service Commission is necessary on each occasion. |

42-60 46/11-2

parent cadre or department; and

(B) Possessing the following educational qualifications and experience:

**Essential:**
(i) Post Graduate Degree in Town or City or Urban or Regional Planning from a recognized University/Institution or equivalent.

ii) 15 years' experience of research in the field of town and regional planning in a local body or in a government undertaking or in a recognized institution, out of which 8 years shall be in monitoring urban and regional development schemes of the government including three years' experience in administrative matters.

**Desirable:**
Fellow Member of the Institute of Town Planners (India)

The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

(Period of deputation (Including Short Term Contract) including period of deputation (Including Short Term Contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department of the Central Government shall ordinarily not to exceed five years. The maximum age limit for appointment by deputation (Including Short Term Contract) shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of application).

**Note:** The Departmental Additional Chief Planner in Pay Band-4, ₹37400-67000/- with Grade Pay of ₹8700/- with three years regular service in the grade, failing which by Additional Chief Planner with eight years of combined regular service in the grades of Additional Chief Planner and Town and Country Planner in Pay Band-3, ₹15600-39100/- with Grade Pay of ₹7600/- with atleast 2 years' service in the grade of Additional Chief Planner, shall also be considered for appointment to the post alongwith outsiders and in case he/she is selected for appointment, the post shall deemed to have been filled by promotion.

[F. No. A-12018/1/2000/TCPO/Admn.-III/UD-II]

K. G. MOHANTA, Under Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण

**EXTRAORDINARY**

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

**PART II—Section 3—Sub-section (i)**

प्राधिकार से प्रकाशित

**PUBLISHED BY AUTHORITY**

सं. 215] नई दिल्ली, मंगलवार, मई 15, 2012/वैशाख 25, 1934

No. 215] NEW DELHI, TUESDAY, MAY 15, 2012/VAISAKHA 25, 1934

## MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(TOWN AND COUNTRY PLANNING ORGANISATION)

### CORRIGENDUM

New Delhi, the 11th May, 2012

**G.S.R. 366(E).**—In the notification of the Government of India, in the Ministry of Urban Development (Town and Country Planning Organisation), number G.S.R. 828(E), dated the 23rd November, 2011, published at pages 4 to 6 in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 23rd November, 2011, in page 5, line 42, for "permanent cadre", read "parent cadre".

[F. No. A-12018/1/2000-TCPO/Admn. III/UD. II]

K. G. MOHANTA, Under Secy.

1741 GI/2012

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.